राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 735/2024

पवन कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख मुख्य सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रधान मुख्य संरक्षक/वन बल प्रमुख (HoFF), राजस्थान वन विभाग, राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, एम.जी.सड़क, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर (राज.)।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान वन विभाग, राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, एम.जी.सड़क, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर (राज.)।
4. उप वन संरक्षक दौसा, संथली, दौसा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिगविजय सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वनपाल के पद पर रेंज बांदीकुई उपवन संरक्षक, दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज लालसोट उपवन संरक्षक, दौसा किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र 8 माह की अल्पावधि में ही किया गया है और एक रेंज से दूसरे रेंज में स्थानान्तरण किये जाने से अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पडेगा। माननीय अधिकरण द्वारा ऐसे स्थानान्तरण आदेशों पर स्थगन आदेश जारी किये गये हैं और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रकार स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वनपाल के पद पर रेंज बांदीकुई उपवन संरक्षक, दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज लालसोट उपवन संरक्षक, दौसा किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र 8 माह की अल्पावधि में ही किया गया है और एक रेंज से दूसरे रेंज में स्थानान्तरण किये जाने से अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पडेगा। जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण होने से उसकी वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पडने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण दौसा जिले के अंदर ही किया गया है और अपीलार्थी की वरिष्ठता भी जिला स्तर पर ही संधारित होती है। इस प्रकार उक्त स्थानान्तरण आदेश से अपीलार्थी की वरिष्ठता पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ना प्रकट नहीं होता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)